

फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/निर्देश/2021-22

वित मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला, टावर-2,

जीवन भारती बिल्डिंग

कनाट सर्कर, नई दिल्ली-110001.

दिनांक 01 सितम्बर, 2022

निर्देश संख्या 04/2022-23 [जीएसटी – अन्वेषण]

विषय: केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अभियोजन को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश।

अभियोजन से अभिप्राय किसी कानूनी कार्यवाही के संस्थापित किए जाने से है; यह अपराधी के खिलाफ औपचारिक आरोप प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया है।

2. केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी एक्ट, 2017) की धारा 132 के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत उन अपराधों को संहिताबद्ध किया गया है, जिनके लिए आपराधिक कार्यवाही या अभियोजन को संस्थापित किया जा सकता है। अतः जो कोई भी सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध करता है तो उसके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है।

3. अभियोजन की स्वीकृति:

3.1 अभियोजन के लिए स्वीकृति के संबंधित व्यक्ति के लिए गंभीर परिणाम होते हैं, अतः जांच के दौरान एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों की प्रकृति का बहुत सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिये। अभियोजन को शुरू किया जाना चाहिये या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने में साक्ष्यों की पर्याप्त उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी आपराधिक अभियोजन में साक्ष्यों का स्तर न्यायनिर्णय प्रक्रिया से अधिक होता है, क्योंकि, किसी वाद को उचित/तर्कसंगत संदेह के परे संस्थापित करना होता है। अतः उन मामलों में भी जिनमें कि न्यायनिर्णय प्रक्रिया में मांग की अभिपुष्टि कर दी गयी हो, संकलित किये गए साक्ष्य इतने वजनदार होने चाहिए कि वे अभियोजन की सिफारिश किये जाने के लिये उपर्युक्त मानदंडों को पूरा कर सकें। निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर लिये जाने चाहिये और ऐसा करने में अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता, जैसे कर वंचन की प्रमात्रा, या आईटीसी का गलत ढंग से लिया जाना, या गलत तरीके से धन वापसी लेना, संकलित साक्ष्यों की प्रकृति और उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.2. अभियोजन को मात्र इस आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए कि न्यायनिर्णयन कार्यवाही में किसी मांग की पुष्टि कर दी गई है। अभियोजन तकनीकी प्रकृति के मामलों में या वहाँ, जहां अतिरिक्त कर का दावा कानून की व्याख्या के संबंध में मतभेद पर आधारित है, शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एकत्र किए गए सबूत इस बात को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, कि संबन्धित व्यक्ति के पास अपराध करने के लिए दोषी दिमाग था, अपराध का ज्ञान था या कपटपूर्ण इरादा रखता था या किसी भी तरह से अपराध करने के लिए 'मेन्स-रिया' थी। इसलिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में कंपनी के सभी निदेशकों के खिलाफ अविचारी अभियोजन शुरू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे केवल उन लोगों तक सीमित करना चाहिए जो कंपनी की दिन-प्रतिदिन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हैं और जिन्होंने कर अपवंचन आदि में सक्रिय भाग लिया हो या इसमें मिलीभगत हो।

4. गिरफ्तारी के मामलों को छोड़कर, जहां अभियोजन को जल्द से जल्द दायर किया जाना होता है, अन्य मामलों में अभियोजन पर निर्णय आम तौर पर न्यायनिर्णयन कार्यवाही पूरी होने पर ही लिया जाना चाहिए। राधेश्याम केजरीवाल [2011 (266) ईएलटी 294 (एससी)] के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें कही हैं:

- (i) न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही साथ-साथ शुरू की जा सकती है;
- (ii) आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले न्यायनिर्णयन कार्यवाही में निर्णय का होना आवश्यक नहीं है;
- (iii) न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति एक दूसरे से अलग होती है;
- (iv) न्यायनिर्णयन कार्यवाही में अभियोजन का सामना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आने वाला निष्कर्ष आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये बाध्यकारी नहीं होगा;
- (v) किसी न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति के पक्ष में आने वाला निष्कर्ष का किसी समान उल्लंघन के मामले में क्या प्रभाव होगा, यह उस निष्कर्ष की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि न्यायनिर्णयन कार्यवाही में दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर है, अर्थात् गुण-दोष के आधार पर नहीं है, तो अभियोजन जारी रह सकता है; और
- (vi) हालांकि, गुण-दोष के आधार पर होने वाली दोषमुक्ति के मामले में, जहां आरोप बिल्कुल ही आधारहीन पाया गया हो, और ऐसे व्यक्ति को निर्देष ठहराया गया हो, समान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि आपराधिक मामलों में सबूत उच्च मानक स्तर के होने चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, अभियोजन शिकायत किसी मामले में न्यायनिर्णय के आने से पहले भी दायर की जा सकती है, विशेष रूप से वहाँ जहां संबन्धित अपराध गंभीर प्रकृति का हो या गुणात्मक साक्ष्य उपलब्ध हों, या यह आशंका विद्यमान हो कि संबंधित व्यक्ति न्यायनिर्णयन

की कार्यवाही के पूरा होने में देरी करा सकता है। ऐसे मामलों में जहां किसी भी अपराधी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले ही अभियोजन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

5. मौद्रिक सीमाएँ:

5.1 मौद्रिक सीमा: अभियोजन सामान्य रूप से वहाँ शुरू किया जाना चाहिए जहां कर अपवंचन, या आईटीसी का दुरुपयोग, या धोखाधड़ी से प्राप्त धनवापसी की राशि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में पांच सौ लाख रुपये से अधिक हो। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में, उक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी:

(i) **अभ्यस्त अपवंचक:** ऐसे किसी भी कंपनी/करदाता के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है जो आदतन कर अपवंचन में शामिल हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सुविधा का दुरुपयोग करता हो या धोखाधड़ी से रिफ़ंड प्राप्त करता हो। किसी कंपनी/करदाता को तब अभ्यस्त अपवंचक माना जाएगा जब वह कर चोरी/धोखाधड़ी रिफ़ंड या आईटीसी के दुरुपयोग, जिसमें धोखाधड़ी, तथ्यों को छिपाना आदि शामिल है, की पुष्टि की मांग (पहले निर्णय स्तर या उससे ऊपर) के दो या अधिक मामलों में शामिल हो, जहां पिछले दो वर्षों में कुल कर चोरी और/या कुल आईटीसी का दुरुपयोग और/या धोखाधड़ी से प्राप्त धनवापसी पांच सौ लाख रुपये से अधिक हो। ऐसे अभ्यस्त अपवंचकों की पहचान करने के लिए DIGIT डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) **गिरफ्तारी के मामले:** ऐसे मामले जहां जांच के दौरान सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तारियां की गई हैं।

6. अभियोजन को मंजूरी देने का अधिकार:

6.1 किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की शिकायत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (6) के अनुसार सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त/आयुक्त की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही दर्ज की जानी चाहिए।

6.2 डीजीजीआई के द्वारा जांच किए गए मामलों के संबंध में, किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन शिकायत केवल संबंधित क्षेत्रीय इकाई/मुख्यालय के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही दर्ज की जानी चाहिए।

7. अभियोजन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया:

7.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत की गई गिरफ्तारी के मामलों में:

7.1.1 जहां जांच के दौरान कोई गिरफ्तारी की गई हो और कोई जमानत न दी गई हो, वहाँ ऐसी गिरफ्तारी के साठ (60) दिनों के भीतर अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

गिरफ्तारी के अन्य सभी मामलों में भी अभियोजन शिकायत एक निश्चित समय सीमा के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत दर्ज करने का प्रस्ताव अनुलग्नक - I में निर्धारित जांच रिपोर्ट के प्रारूप में प्रधान आयुक्त/आयुक्त को ऐसी गिरफ्तारी के पचास (50) दिनों के भीतर अग्रेषित किया जाना चाहिए। प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के अनुसार प्रस्ताव की जांच करेंगे और निर्णय लेंगे। यदि अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो वह सक्षम न्यायालय में अभियोजन शिकायत दर्ज करने के लिए मामले के जांच अधिकारी (अधीक्षक के स्तर पर) को अधिकृत करने वाले आदेश सहित एक स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।

7.1.2 डीजीजीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में जहां कहीं गिरफ्तारी की गई हो वहाँ पैरा 7.1.1 में वर्णित प्रक्रिया का पालन डीजीजीआई के समकक्ष ईंक के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

7.1.3 अपर/संयुक्त आयुक्त या डीजीजीआई के मामलों में अपर/संयुक्त निदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान आयुक्त / आयुक्त या प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक, डीजीजीआई को शिकायत दर्ज करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करने से पहले सभी दस्तावेज़/सबूत और गवाहों की सूची तैयार कर ली गयी है।

7.2 प्राकृतिक व्यक्ति सहित कानूनी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने के मामले में:

7.2.1 अधिनियम की धारा 137 (1) में प्रावधान है कि जहां इस अधिनियम के तहत जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी का भारसाधक और उस कम्पनी के संचालन के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागीदार होंगे। इस अधिनियम की धारा 137 (2) में प्रावधान है कि जहां इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध को किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

इस प्रकार, कंपनियों के मामले में, कानूनी व्यक्ति के साथ-साथ प्राकृतिक व्यक्ति, दोनों सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत अभियोजन के लिए दायी होते हैं। इसी तरह धारा 137 की उप-धारा (3) के तहत भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या हिंदू अविभाजित कुटुंब या न्यास के लिए भी दंड के प्रावधान किए गए हैं।

7.2.2 जहां मामले के न्यायनिर्णय से पहले अभियोजन शुरू करना उचित समझा जाए, वहाँ अपर/संयुक्त आयुक्त या अपर/संयुक्त निदेशक, डीजीजीआई, जैसा भी मामला हो, जोकि जांच का पर्यवेक्षण कर रहे हों,

इसका कारण दर्ज करेंगे और प्रस्ताव को स्वीकृति-प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेंगे। स्वीकृति-प्राधिकारी के ऐसे निर्णय की सूचना संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दी जाएगी ताकि अभियोजन के नजरिए से मामले की दोबारा जांच करने की जरूरत न पड़े।

7.2.3 सभी मामलों में (पैरा 7.2.2 में उल्लिखित मामलों और गिरफ्तारी के अलावा जहाँ अभियोजन शिकायत न्यायनिर्णय से पहले दायर की जा चुकी हैं), न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आदेश पारित करते समय अनिवार्य रूप से इंगित करना चाहिए कि क्या वह मामले को अभियोजन के लिए उपयुक्त मानता है, ताकि इसे और आगे भी प्रसंस्कृत किया जा सके और प्रधान आयुक्त/आयुक्त के पास अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा जा सके।

7.2.4 ऐसे मामलों में, जहाँ डीजीजीआई द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो वहाँ अभियोजन दायर करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संस्तुति संबंधित ज़ोनल इकाई/मुख्यालय के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक, डीजीजीआई को भेजी जाएगी।

7.2.5 जहाँ न्यायनिर्णयन आदेश पारित करने के समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अभियोजन पर कोई विचार नहीं लिया गया है, न्यायनिर्णयन शाखा, न्यायनिर्णयन आदेश जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को अभियोजन पर विचार करने के लिए फ़ाइल को फिर से प्रस्तुत करेगी।

7.2.6 प्रधान आयुक्त / आयुक्त या डीजीजीआई के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक अपनी ओर से, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या मामला अभियोजन की मंजूरी के लिए उपयुक्त है या नहीं, चाहे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अभियोजन की संस्तुति की हो या नहीं।

7.2.7 न्यायनिर्णय आदेश की प्राप्ति या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की सिफारिश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, अभियोजन शुरू करने के उद्देश्य से एक जांच रिपोर्ट अनुलग्नक - I में दिए गए प्रारूप में सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट पर किसी उप/सहायक आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त द्वारा समर्थित हो, और फिर इसे प्रधान आयुक्त/आयुक्त के पास भेजा जाना चाहिए ताकि अभियोजन शुरू किये जाने के लिए स्वीकृति ली जा सके। जहाँ मामला डीजीजीआई द्वारा दर्ज किया गया हो, उक्त रिपोर्ट डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर उप/सहायक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और पर्यवेक्षण करने वाले अपर / संयुक्त निदेशक द्वारा इसे समर्थित कराकर अभियोजन शुरू करने की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए इसे डीजीजीआई के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक के पास भेजा जायेगा। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी पैरा 7.1.1 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगा।

7.2.8 एक बार अभियोजन की मंजूरी प्राप्त हो जाने पर, विधिवत अधिकृत अधिकारी (अधीक्षक के स्तर के) द्वारा कानूनी अदालत में अभियोजन जल्द से जल्द, साठ (60) दिनों के भीतर, दायर किया जाना चाहिए। यदि शिकायत को दर्ज करने में साठ (60) दिनों से अधिक की देरी हो जाती है तो शिकायत दर्ज करने के

लिए प्राधिकृत अधिकारी इसके कारण को स्वीकृति देनेवाले प्राधिकारी अर्थात् प्रधान आयुक्त/आयुक्त या प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक की जानकारी में लाएगा।

7.2.9 डीजीजीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में, एक कमिशनरी में केंद्रीय कर प्रशासन के तहत एकल/एकाधिक करदाताओं से संबंधित मामलों को छोड़कर, जहां गिरफ्तारी नहीं की गई है और कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले अभियोजन का प्रस्ताव नहीं है, अभियोजन की शिकायत क्षेत्राधिकार वाले आयुक्तालय के अधीक्षक स्तर के ऐसे अधिकारी द्वारा दर्ज की जायेगी जिसे सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त/आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। तथापि, डीजीजीआई द्वारा जांच किए गए सभी मामलों में अभियोजन को डीजीजीआई के उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना जारी रहेगा।

8. अपर्याप्त सजा/दोष-मुक्ति के मामले में न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील:

8.1 आयुक्तालय का अभियोजन प्रकोष्ठ न्यायालय के निर्णय की जांच करेगा और प्रधान आयुक्त/ आयुक्त को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा। जहां प्रधान आयुक्त/आयुक्त का यह मत बनता है कि अभियुक्त व्यक्ति को अधिनियम में परिकल्पित की तुलना में हल्की सजा के साथ छोड़ दिया गया है या सबूत मजबूत होने के बावजूद बरी कर दिया गया है, वहाँ ऐसे आदेश के खिलाफ निर्धारित समय के भीतर अपील दायर करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अपील दायर करने से पहले प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। हालांकि, ऐसे मामलों में अपील दायर किये जाने की स्वीकृति प्रधान आयुक्त/आयुक्त के द्वारा दी जाएगी।

8.2 डीजीजीआई द्वारा दर्ज मामलों में, निदेशालय का अभियोजन प्रकोष्ठ न्यायालय के निर्णय की जांच करेगा और प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा जो इस बारे में निर्णय लेंगे कि क्या आदेश को स्वीकार कर लिया जाय या इसके खिलाफ अपील की जाय। हालांकि, अपील दायर किये जाने के पहले महानिदेशक या प्रधान महानिदेशक (मुख्यालय इकाई द्वारा दर्ज मामलों में) की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

9. अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया:

9.1 अभियोजन की स्वीकृति-आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया:

9.1.1 ऐसे मामलों में जहां अभियोजन को मंजूरी दी गई है लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई है और नए तथ्य या सबूत सामने आए हैं जिनमें अभियोजन की मंजूरी की समीक्षा की आवश्यकता है, आयुक्तालय को तुरंत इसे मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए। नये तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी, यदि संतुष्ट होता है तो, क्षेत्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त को यह सिफारिश कर सकता है कि अभियोजन को वापस ले लिया जाय, जो कि इसके बारे में निर्णय लेंगे।

9.1.2 डीजीजीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में, संबंधित सब-नेशनल यूनिट के डीजीजीआई के महानिदेशक के अनुमोदन से स्वीकृति आदेश को वापस लिया जा सकता है। डीजीजीआई, मुख्यालय के द्वारा दर्ज किये गए मामलों में स्वीकृति आदेश को वापस लेने में प्रधान महानिदेशक सक्षम हैं।

9.2 अभियोजन के लिए पहले से दायर शिकायत को वापस लेने की प्रक्रिया:

9.2.1 राधेश्याम केजरीवाल (ऊपर उल्लिखित), के मामले में न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अभियोजन के बीच संबंध के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 43 में कहा है:

"हमारी राय में, इसलिए, यह मानदण्ड तय करना होगा कि क्या न्यायनिर्णय की कार्यवाही के साथ-साथ अभियोजन की कार्यवाही के आरोप समान हैं और न्यायनिर्णयन कार्यवाही में संबंधित व्यक्ति की दोषमुक्ति गुण-दोष के आधार पर है। यदि गुण-दोष के आधार पर यह पाया जाता है कि न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति का मुकदमा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

उक्त अनुपात जीएसटी कानून पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए, जहां यह गुण-दोष के आधार पर पाया जाता है कि न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस तरह के आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है, तो वहाँ कानून के अनुसार अभियोजन को वापस लेने के लिये प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान आयुक्त/आयुक्त या प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में आवेदन करेंगे। इस प्रकार अभियोजन वापस लेना केवल न्यायालय की अनुमति से ही संभव है।

10. सामान्य दिशा-निर्देश:

10.1 यह बताया गया है कि न्यायालय की कार्यवाही में देरी अक्सर इस लिये हो जाती है कि न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या शिकायत के प्रारूपण में विलंब हो जाता है या प्रदर्शन की सूची आदि तैयार करने में देरी हो जाती है। जिस अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने के लिये प्राधिकृत किया गया है उसकी यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह सभी दस्तावेजों, बयानों और अन्य प्रदर्शनों को अपने कब्जे में रखे, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होगी। प्रदर्शनों आदि की सूची को शिकायत का मसौदा तैयार करते समय लोक अभियोजक के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए कि सभी प्रदर्शन सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए हैं। जहां अभियोजन की मंजूरी मिलने के 60 दिन बीत जाने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है, वहाँ इस प्रकार होनेवाली देरी के कारण को आयुक्तालय के प्रभारी या डीजीजीआई के अपर/ संयुक्त निदेशक जो कि शिकायत

दर्ज करने के लिये जिम्मेदार हैं, के द्वारा प्रधान आयुक्त/आयुक्त या डीजीजीआई के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक की जानकारी में लाया जायेगा।

10.2 इस आधार पर अभियोजन दायर करने पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है कि करदाता अपील/पुनरीक्षण में गया है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपील/पुनरीक्षण में कार्यवाही में अनावश्यक रूप से देरी न हो क्योंकि अभियोजन के उद्देश्य के लिए केस रिकॉर्ड आवश्यक हैं, न्यायनिर्णयन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां वाली एक समानांतर फाइल बनाई रखी जानी चाहिये।

10.3 न्यायनिर्णयन अनुभाग के प्रभारी अधीक्षक को सभी न्यायनिर्णयन आदेशों की प्रति अभियोजन अनुभाग को पृष्ठांकित करनी चाहिए। अभियोजन अनुभाग के प्रभारी अधीक्षक को सभी क्रमिक व क्रमांकित न्यायनिर्णयन आदेशों की प्राप्ति की निगरानी करनी चाहिए और प्रत्येक माह न्यायनिर्णयन अनुभाग से लापता क्रमांकों के न्यायनिर्णयन आदेशों की प्रतियां प्राप्त करनी चाहिए। डीजीजीआई मामलों से संबंधित न्यायनिर्णयन आदेशों के संबंध में, न्यायनिर्णयन अनुभाग के प्रभारी अधीक्षक को डीजीजीआई को न्यायनिर्णयन आदेश की एक प्रति का पृष्ठांकन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित क्षेत्रीय इकाइयाँ / मुख्यालय के डीजीजीआई संबंधित आयुक्तालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से मामले के न्यायनिर्णयन की स्थिति का भी पता लगाएंगे।

11. दोषसिद्ध व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन:

11.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 159 प्रधान आयुक्त/ आयुक्त या उनकी ओर से उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अधिनियम के तहत दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह निर्देश दिया जाता है कि विभाग उपयुक्त मामलों में अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराए गए सभी व्यक्तियों के संबंध में इस धारा को लागू करे।

12. अभियोजन की निगरानी:

12.1 अभियोजन शुरू होने के बाद उसकी सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त/ आयुक्त या डीजीजीआई के प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक को मासिक अंतराल पर अभियोजन के मामलों की निगरानी करनी चाहिए और अभियोजन की संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। डीजीजीआई में, प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई तथा डीजीजीआई (मुख्यालय) में एक अपर/संयुक्त निदेशक अभियोजन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे और लंबित अभियोजन मामलों का जायजा भी लेंगे। अभियोजन मामलों पर नज़र रखने के लिए, अभियोजन की मंजूरी के 48 घंटों के भीतर सभी अभियोजन मामलों की प्रविष्टियां यथाशीघ्र डिजिट/ अन्वेषण मॉड्यूल में की जानी चाहिए और प्रविष्टियों को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए। अभियोजन मामलों के पर्यवेक्षण के प्रभारी अपर/ संयुक्त आयुक्त या अपर/ संयुक्त निदेशक, डेटाबेस में समय पर प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करेंगे।

13. अपराध का शमन :

13.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 138 के अनुसार प्रधान आयुक्त /आयुक्त द्वारा शमनीय राशि का भुगतान करके अपराधों का शमन किया जा सकता है। अपराध के शमन के प्रावधानों को अभियोजित व्यक्ति के ध्यान में लाया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को प्रधान आयुक्त/ आयुक्त या डीजीजीआई के प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, द्वारा शमन का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।

14. संक्रमणकालीन प्रावधान:

14.1 ऐसे सभी मामले जहां इन निर्देशों के जारी होने के बाद अभियोजन की मंजूरी दी जाती है, इन निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अपराध की तारीख की परवाह किए बिना, निपटाए जाएंगे। जिन मामलों में अभियोजन स्वीकृत किया गया है लेकिन दण्डाधिकारी के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, इन निर्देशों के प्रावधानों पर विचार करते हुए अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा भी समीक्षा की जाएगी।

15. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा अभियोजन कार्य का निरीक्षण:

15.1 महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय और प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, जिन्हें आयुक्तालयों का निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है, को विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या इस संबंध में निर्देशों का सत्यनिष्ठा से पालन किया जा रहा है और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में सांख्यिकीय डेटा की रिकॉर्डिंग के अलावा, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का उल्लेख करना चाहिए। इसी प्रकार की प्रक्रिया डीजीजीआई में भी की जानी चाहिए।

16. जहां किसी मामले को अभियोजन शुरू करने के लिए उपयुक्त माना जाता है और जहां पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, वहां दोष सिद्ध होना काफी हद तक जांच की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जीएसटी अपवंचन के महत्वपूर्ण मामलों की जांच में और धनशोधन वाले मामलों के संबंध में व्यक्तिगत रुचि लें और जांच अधिकारियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें।

17. अभियोजन कार्य के लिए तैनात अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रधान महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन), फरीदाबाद को समय- समय पर अभियोजन/ गिरफ्तारी आदि पर अलग -अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने चाहिए और जांच के लिए आयोजित पाठ्यक्रमों में इस मामले पर व्याख्यान की एक श्रृंखला भी शामिल करनी चाहिए। प्रधान आयुक्त/ आयुक्त या डीजीजीआई के प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक को ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रायोजित करना चाहिए।

18. इन निर्देशों/ दिशानिर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए आपके प्रभाराधीन सभी कार्यालयों को परिचालित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों/ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में, यदि कोई कठिनाई हो, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

19. कृपया इस निर्देश की प्राप्ति की पावती दें।

(A. M. M)

(विजय मोहन जैन)

आयुक्त (जीएसटी- अन्वेषण), सीबीआईसी

दूरभाष :011-21400623

ईमेल आईडी: gstinvcbic@gov.in

सेवा में ,

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई], नई दिल्ली/सभी डीजी (एसएनयू), डीजीजीआई।
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन।
3. वेबमास्टर, सीबीआईसी की वेबसाइट (www.cbic.gov.in) पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स, फरीदाबाद।
2. महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली।

फा.सं.

_____ के खिलाफ मुकदमा चलाने के उद्देश्य से जांच रिपोर्ट

आयुक्तालय// डीजीजीआई_____ प्रभाग/क्षेत्रीय इकाई,मुख्यालय/ डीजीजीआई_____

1. व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पता, विधिक व्यक्ति (व्यक्तियों) सहित :

2. जीएसटीआईएन (यदि कोई हो) :

3. वस्तु/ सेवा सहित अपराध की प्रकृति :

4. आरोप:

5. अपराध की अवधि:

6. शामिल राशि

7. अभियोजन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों का विवरण :

क. नाम:

ख. पिता का नाम:

ग. आयु : तिंग :

घ. पता:

ङ. व्यवसाय:

च. कंपनी/ फर्म में धारित पद :

छ. अपराध में निभाई गई भूमिका :

ज. आरोपी के खिलाफ उपलब्ध भौतिक साक्ष्य (कृपया अलग से दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य इंगित करें) :

झ. न्यायनिर्णयन में आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश:

8. संक्षिप्त टिप्पणी कि क्यों अभियोजन की सिफारिश की जाती है:

(उप/ सहायक आयुक्त, सीजीएसटी _____)

(उप/ सहायक निदेशक, डीजीजीआई _____)

स्थान:

दिनांक:

9. मैंने, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत आपराधिक शिकायत भरने के लिए जांच-रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की है और इसे सही पाया है।

(अतिरिक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी _____)

(अतिरिक्त/ संयुक्त निदेशक, डीजीजीआई _____)

स्थान:

दिनांक:

1. प्रस्ताव बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उपरोक्त प्रपत्र में किया जाना चाहिए।-उक्त क्रमांक संख्या 4 के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और अन्य संबद्ध अधिनियमों में सभी आरोपित धाराओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। क्रमांक 7 के संबंध में, मुकदमा चलाने की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से जानकारी भरी जानी चाहिए।

2. इस रिपोर्ट के साथ कारण बताओ नोटिस की एक प्रति के साथ साथ न्यायनिर्णयन का आदेश (जहाँ भी कारण बताओ नोटिस या न्यायनिर्णयन आदेश जारी किया गया है), संलग्न किया जाना चाहिए।

3. यदि कोई अपील दायर की गई है, तो इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।